

# आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ4 (23)आकाशि/नि.सं./16/243

दिनांक:- १-5-16

## आदेश

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर निम्नलिखित संस्था को नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु आवंटित संकाय, विषयों सहित सत्र 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 तीन वर्ष के लिए अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

| संचालक संस्था का नाम व पता                              | महाविद्यालय का नाम एवं पता                                                             | सम्बद्ध विश्वविद्यालय                      | आवंटित विषय/ संकाय                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मनु सोशियल वेलफेयर<br>एण्ड एज्युकेशन<br>सोसायटी, जयपुर। | स्वामी विवेकानन्द महिला<br>महाविद्यालय, राई का बाग,<br>परबतरकर रोड, रूपनगढ़,<br>अजमेर। | महर्षि दयानन्द<br>विश्वविद्यालय,<br>अजमेर। | अनिवार्य विषयों सहित-<br>बी.ए.- हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, राजस्थानी<br>राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल,<br>अर्थशास्त्र, गणित, समाजशास्त्र, लोकप्रशासन,<br>गृहविज्ञान, दर्शनशास्त्र, चित्रकला।<br>बी.कॉम-ए.बी.एस.टी, व्यवसायिक प्रशासन,<br>ई.ए.एफ.एम, लाइन स्टॉक एण्ड डायरींग,<br>टेक्सटाइल डाईंग एण्ड पेन्टिंग। |

1. संस्था सत्र 2019-20 में निर्धारित अवधि में नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र अभिवृद्धि हेतु आवेदन करेगी।
2. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी0सी0आई0 से सम्बन्धित विधायक संस्था पर अनुमोदन प्राप्त करेगी।
3. संकाय/विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित किया जाएगा तथा महाविद्यालय द्वारा तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जायेगा।
4. संस्था को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति पश्चात् तीन सत्रों में मापदण्डानुसार स्वयं की भूमि पर महाविद्यालय भवन (विनामक राजस्थान मानवसंपदागुस्ते) का निर्माण पूर्ण करना होगा।
5. संबंधित संस्था द्वारा भूमि रूपान्तरण अवश्य करवाया जायेगा इसके अभाव में अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त भी किया जा सकता है।
6. महाविद्यालय भवन का निर्माण संबंधित सक्षम स्थानीय विकास/नगर नियोजन विभाग द्वारा स्वीकृत मानचित्रों के अनुरूप किया जाय।
7. संस्था द्वारा यूजीसी योग्यताधारी प्राचार्य व व्याख्याता तथा अन्य शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति की जानी होगी।
8. संबंधित विश्वविद्यालय से स्टाफ के अनुमोदन का दायित्व संस्था का रहेगा।
9. आवश्यकतानुसार निदेशालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा संस्था/महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था/महाविद्यालय अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अगिलेख उपलब्ध करायेगा।
10. संस्था द्वारा स्थायी जमा के रूप में जमा करायी गई सुरक्षा राशि को प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
11. संस्था सांख्यिकी पुस्तिका एवं विवरणिका प्रतिवर्ष पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयावधि में जमा करायेगी।
12. मापदण्डों की पूर्ण जानकारी इस विभाग की वेबसाइट [www.dce.rajasthan.gov.in](http://www.dce.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध है।
13. संस्था द्वारा एन0एस0एस/एन0सौ0सी/रोवरिंग एवं रेजरिंग (स्काउट/गाइड) में से किसी भी एक सहशैक्षणिक गतिविधि में विद्यार्थी को भाग दिलाना होगा। इसकी सूचना समन्वयक एन0एस0एस0, कॉलेज शिक्षा को संबंधित अधिकारी का नाम एवं मोबाइल नम्बर सहित आवश्यक रूप से करनी होगी।
14. राज्य सरकार की महाविद्यालय संबंधी प्रवेश नीति 2016-17 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
15. संस्था महाविद्यालय की website बनाकर आयुक्तालय को 15 दिवस में website address की सूचना देगी।
16. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल [aishe.nic.in](http://aishe.nic.in) पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format-II) भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् महाविद्यालय इसकी Hard copy आभासी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करें। इस डाटा के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकास, विकास, Know Your College पर महाविद्यालय की जानकारी सामान्य जन एवं छात्रों को उपलब्ध हो सकेगी।

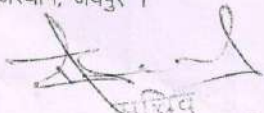
उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।

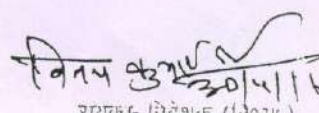
  
आयुक्ता,

कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. गिजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलेक्टर, अजमेर।
4. कुल सचिव, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, अजमेर।
5. सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय।
6. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

  
सचिव

  
राज्य-निदेशक (11031)